तृतीय पक्ष संबंधी अनिवार्य संविदात्मक प्रावधान

Regal (जिसमें Regal Beloit Corporation की सभी संबद्ध और सहायक कंपनियां शामिल हैं) और अमेरिका के बाहर स्थित स्थानों में प्रचालन करने वाले भागीदार (तृतीय पक्ष) के बीच किए गए सभी समझौतों में निम्नलिखित <u>अनिवार्य</u> प्रावधान <u>अवश्य</u> शामिल किए जाने चाहिए।

<u>अनिवार्य प्रावधान</u>

[अनुबंध की परिभाषा संबंधी धाराओं में, या "FCPA" और "सार्वजनिक अधिकारी" को परिभाषित करें का सबसे पहले यहां उल्लेख करें]

1.0 <u>स्वीकृति।</u> FCPA और अन्य कानून Regal या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी या उसकी किसी संबद्ध या सहायक कंपनी के लिए व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी से उसकी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कराए जाने के उद्देश्य से उस सार्वजनिक अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से पैसा, उपहार या कोई मूल्यवान वस्तु देने की पेशकश करने, उसका भुगतान करने, उसे देने का वादा करने या उसके भुगतान के लिए किसी को अधिकृत करने को गैर-कानूनी करार देते हैं। सार्वजनिक अधिकारी शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है ताकि उसमें न केवल पारंपरिक सरकारी अधिकारियों और वे जिन्हें सरकारी एजेंसियों, विभागों, या मंत्रालयों ने नियोजित किया है, बल्कि उन कंपनियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए जो राज्य के स्वामित्व में हैं, या उससे नियंत्रित हैं। अन्य भ्रष्टाचार विरोधी कानून किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक घूसखोरी को निषेधित करते हैं। [तृतीय पक्ष] विश्व स्तर पर की जाने वाली भ्रष्टाचार विरोधी अपेक्षाओं को स्वीकार करता है और उन्हें समझने की पुष्टि करता है, इनमें FCPA और यूके का घूसखोरी संबंधी अधिनियम (U.K. Bribery Act) भी शामिल है, एवं वह किसी भी लागू होने योग्य घूसखोरी विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अनुपालन करने एवं ऐसा कोई कार्य न करने, या ऐसा कोई कार्य करने में असफल न रहने की स्वीकृति देता है, जो किसी भी तरीके से Regal [कंपनी] के लिए FCPA या घूसखोरी, भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी निषेधित करने वाले किसी अन्य कानून के उल्लंघन का कारण बन सकती है।

2.0 <u>[तृतीय पक्ष] के प्रतिवेदन, वारंटियां और लिखित प्रतिज्ञाएं</u>। [तृतीय पक्ष] कंपनी के लिए निम्नलिखित प्रतिवेदन और वारंटियां प्रस्तुत करता है, और निम्नलिखित ढंग से लिखित रूप से प्रतिबद्ध और सहमत होता है:

2.1 <u>[तृतीय पक्ष] के सार्वजनिक और वाणिज्यिक घूसखोरी संबंधी प्रतिवेदन, वारंटियां और लिखित प्रतिबद्धता।</u> [तृतीय पक्ष] यहां कंपनी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, उसे आश्वासन और इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देता है कि उसने कंपनी के साथ किए गए अनुबंध द्वारा अपेक्षित लेन-देन या कंपनी को संबद्ध करने वाले किसी अन्य व्यावसायिक लेन-देन के संबंध में किसी सार्वजनिक अधिकारी को कंपनी या उसकी किसी सहायक या संबद्ध कंपनी के लिए व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से न तो कोई भुगतान किया है, न ही किसी मूल्यवान चीज को हस्तांतरित किया है, या न ही ऐसा करने का वादा किया है, वह भविष्य में भी ऐसा न करने के आशय का प्रतिज्ञापत्र देता है, और सहमति व्यक्त करता है। संबंधित पक्षों का उद्देश्य यह है कि ऐसा कोई भी भुगतान या कोई मूल्य हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए जिसका मकसद या सार्वजनिक या वाणिज्यिक घूसखोरी, भयादोहन (एक्सटॉर्शन), किकबैक्स या प्रभाव व्यवसाय प्राप्ति के लिए अन्य गैर-कानूनी या अनुचित उपायों की स्वीकृति या उनके लिए मौन सहमति हो।

2.2 <u>[तृतीय पक्ष] पर कोई सरकारी स्वामित्व नहीं।</u> [तृतीय पक्ष] इसके द्वारा कंपनी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, और उसे आश्वासन देता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी [तृतीय पक्ष] में, या अनुबंध द्वारा स्थापित संविदात्मक संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से न तो कोई हित रखता है, न ही उसे नियंत्रित करता है।

2.3 <u>[तृतीय पक्ष] की अनुपालन कार्यविधि संबंधी स्वीकृति।</u> [तृतीय पक्ष] सहमति व्यक्त करता है कि (i) कंपनी द्वारा तृतीय पक्ष को अनुबंध के अंतर्गत किया गया कोई भी भुगतान केवल चेक या वायर ट्रांसफर द्वारा सीधे [तृतीय पक्ष] को या [तृतीय पक्ष] के नाम से खोले गए बैंक खाते में किया जाएगा और नकद भुगतान या अन्य

भुगतान गैर धारक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा; (ii) कंपनी द्वारा [तृतीय पक्ष] को कोई भी भुगतान उस गैर-अमेरिकी देश में, जहां [तृतीय पक्ष] को अनुबंध के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, या अमेरिका में किया जाएगा; (iii) [तृतीय पक्ष] सहमति व्यक्त करता है कि इस अनुबंध के अनुपालन के दौरान किए गए व्यय को दर्शाने वाले उसके बही खाते प्रत्येक व्यय को किए जाने के उद्देश्य को तथा जिसके लाभ के लिए व्यय किया गया है, उसे दर्शाएंगे और उस प्रत्येक सेवा का लिखित रिकार्ड रखा जाएगा, जिसे [तृतीय पक्ष] कंपनी के लिए, या कंपनी की ओर से करता है,; (iv) [तृतीय पक्ष] ऐसे किसी भी व्यय या चुकाई गई लागत का सटीक और विस्तृत रिकार्ड रखेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत कंपनी द्वारा किया जाना अपेक्षित है, जिसमें प्रशिक्षण संबंधी कोई व्यय भी शामिल है, और वह लिखित अनुरोध किए जाने पर कंपनी को उसकी समीक्षा करने की अनुमति देगा; और (v) अनुबंध की शर्तों को सरकारी एजेंसियों एवं इस प्रकार की सूचना की विधिसम्मत आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष प्रकट किया जा सकता है, इनमें अमेरिका का न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) या अमेरिका का प्रतिभूति और विनिमय आयोग (U.S. Securities and Exchange Commission) शामिल है, पर वे इन तक ही सीमित नहीं हैं।

2.4 <u>FCPA के अनुपालन में चूक होने की स्थिति में कंपनी के अधिकार।</u> ऐसी स्थिति में जब कंपनी नेकनीयती के साथ यह विश्वास करती हो, भले ही उसने कोई जांच-पड़ताल की हो या न की हो, कि [तृतीय पक्ष] ने किसी ऐसे तरीके से कार्य किया है जिससे कंपनी FCPA या किसी अन्य भ्रष्टाचार विरोधी या घूस-विरोधी कानून के अंतर्गत दायित्व के अधीन हो गई है, तो कंपनी के पास [तृतीय पक्ष] को लिखित नोटिस दे कर अनुबंध तत्काल समाप्त करने का तत्काल लागू किए जाने योग्य एकपक्षीय अधिकार होगा।

2.5 <u>प्रतिनिधि प्रमाणन।</u> [तृतीय पक्ष] सहमति व्यक्त करता है, कि वह कंपनी के अनुरोध पर, वर्ष में कम से कम एक बार यहां संलग्न और सम्मिलित फार्म में एक प्रमाणन उपलब्ध कराएगा और अपने प्रत्येक निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या अन्य प्रतिनिधियों, जो अनुबंध के अंतर्गत [तृतीय पक्ष] के व्यवसाय के प्रबंधन या प्रचालन से किसी भी प्रकार से संबद्ध हैं, से भी ऐसा ही कराएगा और इस प्रकार का संदर्भ देगा। ______. [कंपनी के प्रतिनिधित्व प्रमाणन को संलग्न करें।]

2.6 <u>कंपनी का जांच-पड़ताल करने का अधिकार।</u> ऐसी स्थिति में जब Regal को तर्कसंगत ढंग से यह विश्वास हो कि [तृतीय पक्ष] ने ऐसा कोई कार्य किया है, या ऐसा कोई कार्य करने में असफल रहा है, जिसकी वजह से Regal FCPA या अन्य लागू होने योग्य कानूनों के अंतर्गत दायित्व के अधीन हो सकता है, [तृतीय पक्ष] सहमति व्यक्त करता है कि Regal को अधिकार होगा कि वह [तृतीय पक्ष] को लिखित नोटिस देकर, इस संबंध में अपनी उचित ढंग की संतुष्टि निश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष की जांच-पड़ताल कराए कि [तृतीय पक्ष] द्वारा Regal की ओर से किए गए किसी कार्य या किसी कार्य को करने में असफलता के कारण Regal भ्रष्टाचार, घूसखोरी या धोखाधड़ी के लिए दायित्व के अधीन हो सकता है अथवा नहीं [तृतीय पक्ष] इस प्रकार की जांच-पड़ताल, उसके दायरे, तरीके, प्रकृति और अवधि के संबंध में पूरी तरह सहयोग करेगा, जिनके संबंध में तर्कसंगत विवेकाधिकार केवल Regal के पास होगा।

लेखक:	फर्नेन्डो रुइज़ (Fernando Ruiz) एसोसिएट जनरल काउंसल – वाणिज्यिक (Associate General Counsel – Commercial)	Fernando.ruiz@regalbeloit.com +1 260-416-5685
अनुमोदनकर्ता:	☐ जोखिम एवं अनुपालन समिति ✓ GC	दस्तावेज स्टोरेज सूचना: 2014-00120: 0000006409
भाषाएं:	वही जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति में है – वैश्विक 100.102	
संशोधित इतिहास/तिथि पूरा किया हुआ:	6: नीति से मेल खाने के लिए संशोधित भाषा संदर्भ 5: अद्यतिद प्रारूप 4: "विदेशी" से "सार्वजनिक" और जांच को ठीक संस्तुत शब्दों से आगे बढ़ाया 3: पायलट के साथ संशोधन 2: अनुवाद शामिल किया गया नया	2015-जून-17 2015-जून-01 2014-दिसंबर-31 2014-सितंबर-19 2012 2011-अगस्त

यह दस्तावेज नियंत्रित है और इसे इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है। Regal corporate website (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) पर पोस्ट किया गया इंग्लिश संस्करण सबसे अद्यतिद दस्तावेज है। मुद्रित प्रतियां या इलेक्ट्रॉनिक विधि से अन्य स्थानों पर स्टोर की गई प्रतियां पुरानी (व्यवहार में न आने वाली) हो सकती है।